

पत्रावली रजिस्ट्र की जाकर भ्रष्टाचार को रोकने
को लेकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/07/2023
को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

26/07/2023

पत्रावली पेश हुई। आकाशक संघ द्वारा न्यायिक कार्य
स्वांगित करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
26/07/2023 को पेश हो।


S.D.O

26/07/2023

पत्रावली पेश हुई R.O. द्वारा R.O. मीटिंग में
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
22/08/2023 को पेश की जावे।



22/08/2023

पत्रावली पेश हुई R.O. द्वारा R.O. मीटिंग में
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
19/09/2023 को पेश की जावे।



कोर्ट/न्यायालय
नहीं पेश करे

Not
press



वापस/पुनः
अभियोग

29/09/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित।
वकील प्राथी द्वारा पत्रावली में Not-press
कर निवेदन किया कि पत्रावली में कोई अभियोग
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। वकील

प्राथी द्वारा पत्रावली में Not-press कर
कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से
पत्रावली को इसी स्तर पर विज्ञे में खार्ज
किया जाता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर
दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिनियम
रावतभाटा (चिन्ताङ्क)